महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

जनसंपर्क कार्यालय

PUBLIC RELATIONS OFFICE

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विधिक सहायता केंद्र का हुआ उद्घाटन

वर्धा, 17 जुलाई 2026: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के विधि विभाग में विधिक सहायता केंद्र का गरिमामय उद्घाटन 17 जुलाई को संपन्न हुआ। विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,वर्धा के सचिव संजीव सरदार द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधी विद्यापीठ के अधिष्ठाता एवं विधि विभाग के

विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जनार्दन कुमार तिवारी ने स्वागत किया। विधिक सहायता केंद्र समाज के जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता एवं जागरूकता प्रदान करने में एक महत्व पूर्ण भूमिका निभाएगा। सहायता केंद्र का उद्देश्य न्याय को केवल अदालतों और अमीरो तक सीमित न रखकर उसे समाज के सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है।

उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉ. जयंत उपाध्याय ,दर्शन एवं संस्कृति विभाग ,प्रोफेसर के बालराजू , निदेशक वर्धा समाज कार्य संस्थान ,डॉ शिव सिंह बघेल, वर्धा समाज कार्य संस्थान तथा हिंदी अधिकारी डॉ. राजेश यादव तथा विधि विभाग के सभी शिक्षक ,कर्मचारी ,विद्यार्थी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,वर्धा के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत

ई-मेल/E-mail: pro.mgahv@hindivishwa.ac.in **वेबसाइट/Website:** **www.hindivishwa.org**

दूरभाष : +91-7152-252651 मोबाइल/Mobile : 9960562305